संख्या-207/2018/3464/26-3-2018-4(358)/07टी.सी.।।।

प्रेषक,

मनोज सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक:- 05 अक्टूबर 2018

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वदशम (कक्षा-9 व 10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह-1 2 3 व 4 के पाठ्यक्रम तथा कक्षा-11 व 12) योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर व बाहर अध्ययनरत व आनलाइन नवीनीकरण आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों के शुद्ध डाटा का परीक्षण कर धनराशि भुगतान हेतु आंशिक संशोधन समय सारिणी के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, समाज कल्याण के पत्र संख्या-2228/स0क0/शिक्षा-अ/03/ 95/2018-19, दिनांक-05.10.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2018-19 में पूर्वदशम (कक्षा-9 व 10) एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (समूह-1, 2, 3 व 4 के पाठ्यक्रम तथा कक्षा-11 व 12) योजनान्तर्गत प्रदेश के अन्दर व बाहर अध्ययनरत व आनलाइन नवीनीकरण आवेदन करने वाले छात्रों के शुद्ध डाटा का परीक्षण कर धनराशि भुगतान हेतु आंशिक संशोधन समय सारिणी जारी किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या-133/2018/1213/ 26-3-2018-4(358)/07 टीसी-iiiदिनांक 02-05-2018, शासनादेश संख्या-181/2018/2874/ 26-3-2018 दिनांक 30-08-2018 द्वारा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत तथा शासनादेश संख्या-192/2018/3010/26-3-2018-4(215)/90 टीसी-iii दिनांक 10-09-2018 द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत आनलाइन आवेदन एवं वितरण प्रक्रिया के लिये संशोधित समय सारिणी जारी की गयी है।

3- इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उक्त समय सारिणी में निर्गत तिथियों के अनुसार वर्ष 2018-19 में दिनांक 01 जुलाई 2018 से 31 अगस्त 2018 तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों के डाटा का एन0आई0सी0 स्तर से स्क्रूटनी करते हुये शुद्ध पाये गये नवीनीकरण के डाटा को जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा लाक किये जाने के उपरांत छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति वितरण की कार्यवाही की गयी व दिनांक 02 अक्टूबर 2018 को प्रदेश के समस्त जनपदों में छात्रवृत्ति वितरण दिवस समारोह का आयोजन करके छात्रों को सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है।

4- इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया है कि मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 सरकार के आदेश के क्रम में प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन ने दिनांक 01 सितम्बर 2018 से 30 सितम्बर 2018 तक तथा 01 अक्टूबर 2018 से अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2018 तक आनलाइन आवेदन करने वाले छात्रों में से नवीनीकरण के शुद्ध डाटा वाले नवीनीकरण के छात्रों को भी इसी माह धनराशि भुगतान किये जाने हेतु कार्यवाही करने के निर्देश दिये हैं।

5- उक्त निर्देश के क्रम में दिनांक 01 सितम्बर 2018 से 30 सितम्बर 2018 तक आवेदन के उपरांत दिनांक 01-10-2018 को संस्था स्तर से अग्रसारित आवेदनों को प्रथम चरण के अन्तर्गत माह अक्टूबर में व 01 अक्टूबर 2018 से अंतिम तिथि 10 अक्टूबर 2018 तक आवेदन के उपरांत संस्था स्तर से दिनांक 22-10-2018 तक अग्रसारित आवेदनों को द्वितीय चरण के अन्तर्गत माह नवम्बर में नवीनीकरण के शुद्ध डाटा वाले छात्रों को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान करने हेतु आंशिक संशोधित समय सारिणी निम्नवत है:-

पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति

(A) प्रथम चरण

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 9-10 व 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं में नवीनीकरण छात्रों के लिये
1	2	3
	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	12 अक्टूबर 2018 तक
2	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सही डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत एवं डिजिटल	14 अक्टूबर 2018 तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

	सिग्नेचर से सही डाटा लाक किया जाना।	
3	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	20 अक्टूबर 2018 तक
4	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	23 अक्टूबर 2018 तक
5	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत PFMS से छात्र/छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	30 अक्टूबर 2018 तक दशमोत्तर छात्रवृत्ति

<u>दशमोत्तर छात्रवृत्ति</u>

(B) द्वितीय चरण

क्र0 सं0	प्रक्रियात्मक कार्यवाही	कार्यवाही की प्रस्तावित समयावधि कक्षा 11-12 एवं अन्य समस्त दशमोत्तर कक्षाओं में नवीनीकरण छात्रों के लिये
1	2	3
2	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना, आवेदन पत्र में अंकित आधार नम्बर को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से सत्यापन किया जाना एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर परीक्षण किया जाना।	30 अक्टूबर 2018 तक
3	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा सही डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र छात्रों की छात्रवृत्ति तथा शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत एवं डिजिटल सिग्नेचर से सही डाटा लाक किया जाना।	02नवम्बर 2018 तक
4	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा एवं स्वीकृत डाटा लॉक किया जाना।	06 नवम्बर 2018 तक
5	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाॅक डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से मांग सृजित कराना।	12 नवम्बर 2018 तक
6	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाॅक डाटा के आधार पर कोषागार के ई-पेमेण्ट (e-payment) के तहत च्थ्डै से छात्र/ छात्राओं के बचत बैंक खातों में सीधे धनराशि अन्तरित किया जाना।	16 नवम्बर 2018 तक

उक्त के अतिरिक्त छात्रवृत्ति वितरण हेतु पूर्व में जारी समय सारिणी यथावत लागू रहेगी।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सुसंगत छात्रवृत्ति नियमावलियों में उल्लिखित प्राविधानों एवं उपरोक्त समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2018-19 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

मनोज सिंह
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0-207/2018/3464 (1)/26-3-2018 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव/निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपने विभाग में उक्तानुसार कार्यवाही हेतु विचार करने का कष्ट करें।
3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0लखनऊ।
6- कुल सचिव, अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, एन0आई0सी0 राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।